गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO-9001:2015 एवं ISO-14001:2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्रांकः 245 / भूखण्ड अनुभाग / 19 दिनांकः 24.12.2019

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कौशाम्बी, वैशाली एवं इन्दिरापुरम आवासीय योजना में ऐसे भूखण्डों के विरूद्ध जिन आवंटियों द्वारा देय बकाया धनराशि अनेकों बार प्राधिकरण के नोटिस एवं जिला प्रशासन से बजरिया मालगुजारी (R.C.) के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसके पश्चात् भी देयता जमा नहीं करायी गयी है। ऐसी सम्पत्ति का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	भूखण्डों की देयता बकाया धनराशि दिनांक 31.12.2019 तक
1	वैशाली आवासीय योजना	N.P.-15 सै0–03	मै0 के0एम0जे0 लैण्ड डवलपर्स इण्डिया लि0	रू0 1,66,99,000 / –
2	वैशाली आवासीय योजना	N.P.-16 सै0–03	मै0 के0एम0जे0 लैण्ड डवलपर्स इण्डिया लि0	रू0 1,68,55,000 / –
3	कौशाम्बी आवासीय योजना	A-245	मै0 के0एम0जे0 लैण्ड डवलपर्स इण्डिया लि0	रू0 2,77,29,000 / –
4	इन्दिरापुरम आवासीय योजना	N.K.-I/591 नितिखण्ड–I	श्री यशवीर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह	रू0 2,59,92,000 / –

उपरोक्त समस्त आवंटियों को अन्तिम रूप से विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त भूखण्ड के विरूद्ध किसी आवंटी द्वारा देय धनराशि जमा करायी गयी है तो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा रसीद उपलब्ध करा दें, अन्यथा उपरोक्त सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के पश्चात् ब्रोशर की धारा–9 के नियमानुसार भूखण्ड के आवंटन निरस्तीकरण कर पूर्व में जमा राशि का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि रिफण्ड कर दी जायगी, जिसकी समस्त उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

अपर–सचिव

ई–मेल : helplinegda@gmail.com, f : @gdagzb, t :@gdagzb
हैल्पलाइन नं.: 0120-3342433, व्हाट्सएप नं.: 9818988807, वेबसाईटः www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प